अध्याय III

संविदा प्रबंधन

3.1 संविदा प्रबंधन संविदाओं के निर्माण से लेकर उनके निष्पादन तक के प्रबंधन की प्रक्रिया है। इसमें उपयुक्त उपापन पद्धति का चयन, निविदाओं का आमंत्रण एवं अंतिम रूप देना एवं निर्धारित उपापन प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संविदाओं का प्रदान किया जाना, निविदा प्रक्रिया में वित्तीय औचित्य एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

डीडीयूजीजेवाई ने डिस्कॉम्स स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु टर्नकी आधार पर परियोजना कार्यों को प्रदान करने के लिए उपक्रम-वार परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति एवं निष्पादन एजेंसियों/ठेकेदारों की नियुक्ति को निर्धारित किया। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए, तीन डिस्कॉम्स ने, ₹ 14.03 करोड़ (कुल स्वीकृत लागत का 0.50 प्रतिशत) के प्रावधान के विरूद्ध ₹ 18.99 करोड़ की कुल लागत पर पीएमए (परियोजना निर्माण सहित) में परिभाषित कार्यों को निष्पादित करने के लिए चार एजेंसियों (छह संविदाएं) की नियुक्ति की।

साथ ही, संयुक्त स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 2805.38 करोड़ (पीएमए शुल्क को छोड़कर) की 33 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु डिस्कॉम्स ने ₹ 2427.00 करोड़ (निशुल्क निर्गम मद के रूप प्रदान किए गए मीटरों की लागत एवं सब-स्टेशनों पर सीएलआरसी के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों की लागत, जिसकी गणना ₹ 244.11 करोड़ की गई, को छोड़कर) के 47 टर्नकी ठेके प्रदान किए ।

संविदा प्रबंधन में पायी गई कमियों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

उपापन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान

3.2 डिस्कॉम्स द्वारा अपनाई जाने वाली उपापन प्रक्रिया निश्चित वैधानिक प्रावधानों के अधीन नियंत्रित होती है। प्रमुख प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान निम्नानुसार हैः

अ. ***आरटीपीपी अधिनियम, 2012/आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधान***

3.3 राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम - 2012 अधिनियमित किया (मई 2012) एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बोलीदाताओं के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दक्षता एवं मितव्ययिता बढ़ाने तथा उपापन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चत करने के उद्देश्यों के साथ लोक उपापन को विनियमित करने के लिए आरटीपीपी अधिनियम -2012 एवं आरटीपीपी नियम- 2013 अधिसूचित (जनवरी 2013) किये। आरटीपीपी अधिनियम/नियम उनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हुए एवं अधिनियम/नियमों के प्रावधान राज्य सरकार के स्वामित्व/नियंत्रित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू थे। आरटीपीपी अधिनियम, 2012/आरटीपीपी नियम, 2013 के कुछ प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैंः

उपापन की पद्धति

- **धारा 28 में प्रावधान है कि एक उपापन करने वाली संस्था 10 पद्धतियों[46] में से किसी के भी माध्यम से उपापन की विषय वस्तु (अर्थात वस्तुएं, सेवाएं एवं कार्यो) का उपापन कर सकती है।**

एकल स्त्रोत उपापन

- **धारा 31 में प्रावधान है कि एक उपापन करने वाली संस्था एकल स्त्रोत उपापन पद्धति से उपापन की विषय वस्तु के उपापन का चयन इस धारा मे वर्णित[47] निर्धारित परिस्थितियों में कर सकती है। साथ ही, नियम 17 में प्रावधान है कि एक उपापन करने वाली संस्था इस पद्धति से विषय वस्तु का उपापन कर सकती है यदि सलाहकार या वृत्तिक सेवाओं की, अधिकतम बारह माह की अवधि एवं प्रत्येक मामले में ₹ 12 लाख की वित्तीय सीमा तक, आवश्यकता है; या उपापन की विषय वस्तु राजस्थान सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रशासित हो।**

ब. *केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देश*

3.4 सीवीसी सरकारी विभागों/संगठनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) की गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। कुछ प्रासंगिक दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

नामांकन के आधार पर कार्य प्रदान किया जाना

- **"नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए कार्यो/क्रय/परामर्श संविदाओं में पारदर्शिता" पर सीवीसी के परिपत्र (9 मई 2006) मे प्रावधान है कि खुली निविदा, निविदा की सर्वाधिक अधिमानित पद्धति है एवं नामांकन के आधार पर निविदा मात्र अपरिहार्य परिस्थितियों में ही प्रदान की जानी चाहिए। सीवीसी ने एक कार्यालय आदेश के माध्यम से दोहराया (5 जुलाई 2007) कि निविदा प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा प्रदान करने की एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि कोई अन्य विधि, विशेषकर नामांकन के आधार पर, संविदा प्रदान करना, समानता के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14, जिसके अनुसार सभी इच्छुक पक्षों को समानता का अधिकार है, का उल्लंघन होगा।**

इसके अतिरिक्त, उपापन क्रय नियमावली, निर्माण नियमावली एवं डिस्कॉम्स द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

46 (क) खुली प्रतियोगी बोली; (ख) सीमित बोली; (ग) द्वि-स्तरीय बोली; (घ) एकल स्त्रोत उपापन; (ङ) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम; (च) कोटेशनों के लिए अनुरोध (छ) मौके पर क्रय (ज) प्रतियोगी बातचीत (झ) दर संविदा; (ञ) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपापन के सिद्धान्तों का समाधान करने वाला और जिसको राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक समझे, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपापन की कोई भी अन्य पद्धति।

47 विषय वस्तु के संबंध में विशेष अधिकार रखने वाला एक विशिष्ट संभावित बोलीदाता; अचानक अप्रत्याशित घटना के कारण, कोई अति महत्वपूर्ण आवश्यकता विद्यमान हो; मानकीकरण के लिए अतिरिक्त आपूर्ति/सेवाओं का उपापन; वर्तमान संविदा का विस्तार; राष्ट्रीय सुरक्षा हित; कलात्मक विषय वस्तु; गोपनीय विषय वस्तु आदि।

परियोजनाओं के निर्माण एवं निगरानी के लिए एजेंसियों की नियुक्ति

3.5 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अध्याय-II (परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन) के वाक्यांश 11 में प्रावधान है कि परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने व परियोजना प्रबंधन में उनकी सहायता के लिए उपक्रम-वार/डिस्कॉम-वार एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को प्राथमिकता से नियुक्त किया जाएगा। योजना के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार पीएमए पर किए गए व्यय के पेटे 100 प्रतिशत अनुदान अर्थात कार्यों की लागत का 0.50 प्रतिशत तक प्रदान करेगी। पीएमए की नियुक्ति पर स्वीकृत परियोजना लागत के 0.50 प्रतिशत से अधिक लागत, यदि कोई हो, को डिस्कॉम्स को स्वयं के संसाधनों से वहन करना होगा। इसमें आगे यह प्रावधान किया कि डिस्कॉम अपनी नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसयू से या खुली बोली के माध्यम से किसी भी पीएमए का चयन कर सकता है। डीडीयूजीजेवाई के दिशानिर्देशों की निरंतरता में, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अन्य दिशानिर्देश अर्थात डीडीयूजीजेवाई हेतु परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए दिशानिर्देश (पीएमए दिशानिर्देश) जारी किए (जनवरी 2017)। पीएमए दिशानिर्देशों ने परियोजना निर्माण, बोली प्रक्रिया के संचालन व डीडीयूजीजेवाई की भौतिक व वित्तीय प्रगति की निगरानी मे डिस्कॉम्स की सहायता के लिए एक उपयुक्त पीएमए की नियुक्ति की आवश्यकता को दोहराया। पीएमए द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य मे परिभाषित गतिविधियों में वैकल्पिक गतिविधि यथा परियोजना निर्माण कार्य (एनएडी एवं डीपीआर तैयार करना) एवं अनिवार्य गतिविधियां यथा बोली प्रक्रिया की निगरानी एवं समन्वय, परियोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन, गुणवत्ता निगरानी, एमआईएस एवं वेब पोर्टल का अद्यतनीकरण एवं नोडल एजेंसी/एमओपी आदि के साथ समन्वय सम्मिलित था।

डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश जारी करने के पश्चात, जयपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करने एवं परियोजना प्रबंधन कार्य हेतु नामांकन आधार पर एक एजेंसी नियुक्त करने के प्रयास प्रारम्भ किए (दिसंबर 2014)। तत्पश्चात, जयपुर डिस्कॉम ने अपनी परियोजनाओं के लिए एक पृथक पीएमए नियुक्त करने का निर्णय लिया (फरवरी 2015) एवं तदनुसार, इसने नामांकन के आधार पर एक एजेंसी को मात्र डीपीआर बनाने तक का सीमित कार्य करने के लिए नियुक्त किया। जोधपुर डिस्कॉम ने भी नियुक्तियों के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि का अनुसरण करने का निर्णय लिया (मार्च 2015)। तदनुसार, जयपुर डिस्कॉम तथा जोधपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करने के लिए वेपकोस लिमिटेड को नामित किया (मार्च 2015)।

अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि अन्य दो डिस्कॉम्स से कुछ भिन्न थी क्योंकि इसने डीपीआर स्वयं तैयार की थी। तत्पश्चात, तीनों डिस्कॉम्स में से प्रत्येक ने दो पीएमए अर्थात (i) समस्त अनिवार्य गतिविधियों (क्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण के अतिरिक्त) हेतु मुख्यलाय स्तर पर पीएमए एवं (ii) क्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण के लिए वृत्त स्तर पीएमए नियुक्त किए (अगस्त 2015 एवं मई 2017)।

डिस्कॉम्स द्वारा डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के निर्माण व निगरानी के लिए नियुक्त एजेंसियों एवं प्रदान किए गये कार्यादेशों व उन पर पीएमए हेतु आवंटित निधियों से अधिक व्यय को नीचे दर्शाया गया हैः

तालिका संख्या 3.1

पीएमए एवं अन्य सेवाओं के लिए एजेंसी की नियुक्ति (जनवरी 2021)

उद्देश्य (एजेंसी का नाम)	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम	
	कार्यादेश का मूल्य	वास्तविक व्यय	कार्यादेश का मूल्य	वास्तविक व्यय	कार्यादेश का मूल्य	वास्तविक व्यय
डीपीआर निर्माण (वेपकोस) ***(₹ करोड़ में)***	3.53	2.94	-	-	3.27	3.26
मुख्यालय स्तर पीएमए (डेलोइट टौच तोहमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)[48] ***(₹ करोड़ में)***	1.05	1. 36	1.04	1.79	1.09	1.61
वृत्त स्तर पीएमए (जयपुर डिस्कॉम के लिए एफआईपीएल एवं अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम के लिए एमटीसीपीएल) ***(₹ करोड़ में)***	2.70	2.63	3.15	3.04	3.16	4.25
कुल *(₹ करोड़ में)*	**7.28**	**6.93**	**4.19**	**4.83**	**7.52**	**9.12**
परियोजनाओं की स्वीकृत लागत ***(₹ करोड़ में)***	1027.08		829.35		948.95	
स्वीकृत परियोजना लागत में पीएमए/सलाहकार लागत की प्रतिशतता	0.71	0.67	0.51	0.58	0.79	0.96
योजना के प्रावधान से अधिक पीएमए/सलाहकार लागत की प्रतिशतता	0.21	0.17	0.01	0.08	0.29	0.46

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों मे प्रत्येक उपक्रम हेतु एक पीएमए की नियुक्ति का प्रावधान था तथापि तीनों डिस्कॉम्स में से प्रत्येक ने अपनी परियोजनाओं की निगरानी हेतु मुख्यालय स्तर व वृत्त स्तर पर पृथक पीएमए नियुक्त किए। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम के मामले में, पीएमए (डीपीआर निर्माण की लागत सहित) की कार्यादेश लागत के साथ-साथ वास्तविक लागत भी, पीएमए हेतु भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्य राशि से सारभूत रूप से अधिक थी। परिणामस्वरूप, इन दोनों डिस्कॉम्स ने जनवरी 2021 तक अपने स्वयं की निधियों से क्रमशः ₹ 1.79 करोड़[49] एवं ₹ 4.37 करोड़[50] व्यय किए। चूंकि समापन प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है, योजना के समापन तक पीएमए व्यय का भार और बढ़ेगा।

सरकार ने पीएमए प्रभारों के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया। तथापि, उत्तर पृथक एजेंसियों की नियुक्ति के मुद्दे पर मौन था।

साथ ही, परियोजना निर्माण ऐजेंसी/पीएमए की नियुक्तियों मे पायी गई कमियों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है:

48 प्रदान किए गये एवं वास्तविक व्यय के अलग-अलग मूल्यों की उपलब्धता के अभाव में, आनुपातिक मूल्य स्वीकृत परियोजना लागत के आधार पर प्राप्त किए गए हैं।

49 ₹ 6.93 करोड़ - ₹ 5.14 करोड़ (यथा ₹ 1027.08 करोड़ का 0.5 प्रतिशत)

50 ₹ 9.12 करोड़ - ₹ 4.75 करोड़ (यथा ₹ 948.95 करोड़ का 0.5 प्रतिशत)

आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के उल्लंघन में वेपकोस का नामांकन

3.6 जयपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करने हेतु आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) नामक एक सीपीएसयू चिन्हित की (दिसंबर 2014) एवं इससे डीडीयूजीजेवाई के तहत सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने के कार्य के साथ-साथ परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं हेतु प्रस्ताव मांगा। मोलभाव एवं कार्यक्षेत्र में संशोधन के पश्चात, आरईसीपीडीसीएल ने अनुमोदित परियोजना लागत का 0.75 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य जीपीएस का उपयोग किए बिना) एवं 0.95 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य हेतु जीपीएस का उपयोग) दर पर कार्य को निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया (17 फरवरी 2015)। तत्पश्चात, जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण) ने वेपकोस लिमिटेड (वेपकोस) नामक एक अन्य सीपीएसयू से भी प्रस्ताव मांगे (18 फरवरी 2015)। वेपकोस ने अनुमोदित परियोजना लागत का 0.39 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य जीपीएस का उपयोग किए बिना) एवं 0.41 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य हेतु जीपीएस का उपयोग) की दर से कार्य निष्पादन का प्रस्ताव दिया (19 फरवरी 2015)। प्रकरण निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) के समक्ष रखा गया (23 फरवरी 2015)। सीएलपीसी ने वेपकोस द्वारा प्रस्तावित दरों को अधिक मानते हुए इसके प्रतिनिधि को बैठक में ही बुलाया एवं स्वीकृत परियोजना लागत का 0.30 प्रतिशत दर पर (जीपीएस उपयोग करते हुए सर्वेक्षण) कार्य प्रदान किए जाने का प्रति प्रस्ताव दिया, जिसे वेपकोस ने स्वीकार कर लिया था। तदनुसार, कंपनी ने वेपकोस को सहमत दर पर कार्यादेश प्रदान किया (4 मार्च 2015)।

इसी प्रकार, जोधपुर डिस्कॉम आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के अधीन निर्धारित उपापन पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को अपनाए बिना, जयपुर डिस्कॉम द्वारा वेपकोस से डीपीआर तैयार व सर्वेक्षण की सेवाओं के उपापन मे अपनाई गई कार्यप्रणाली एवं अंतिम रूप दी गई दरों पर निर्भर रहा। तदनुसार, जोधपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी ने भी जयपुर डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई दर एवं नियम व शर्तों पर वेपकोस के पक्ष में सर्वेक्षण तथा डीपीआर तैयार किए जाने का कार्यादेश प्रदान किया (मार्च 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण) ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही यादृच्छिक आधार पर वेपकोस का चयन किया। साथ ही, दो डिस्कॉम्स (जयपुर एवं जोधपुर) ने विचलन के कारणों को अभिलिखित किए बिना आरटीपीपी अधिनियम की धारा 28 में वर्णित उपापन प्रक्रिया प्रावधानों की अवहेलना की एवं सीवीसी के दिशा-निर्देशों को अनदेखा किया। अतः ये डिस्कॉम्स सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार किए जाने हेतु सेवाओं के उपापन में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं कर सके।

सरकार ने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने जीएफआर 2005 के नियम 176 के अनुसार वेपकोस को एक सीपीएसयू होने के नाते एकल स्रोत चयन के माध्यम से नामित किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि जीएफआर 2005 का नियम 176 एकल स्रोत उपापन की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों मे ही, अभिलिखित औचित्य के साथ देता है, जो नहीं किया गया था। साथ ही, आरटीपीपी अधिनियम के लागू नियम 17 (1) एकल स्रोत उपापन के माध्यम से सलाहकार की सेवाएं लेने हेतु मात्र ₹12 लाख तक की सीमा तक अनुमति देता है जबकि वेपकोस को लिए जाने की जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स की लागत क्रमशः ₹ 3.53 करोड़ एवं ₹ 3.27 करोड़ थी। योजना के दिशानिर्देश भी सीपीएसयू की नियुक्ति की अनुमति संबंधित उपक्रम की

उपापन नीति/दिशानिर्देशों को अपनाकर ही देते हैं। अतः सीपीएसयू की नियुक्ति हेतु आरटीपीपी अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारित पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए।

डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टर्नकी संविदा प्रदान करना

3.7 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अध्याय-II (परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन) के वाक्यांश 8 (कार्यान्वयन का तरीका) में प्रावधान है कि परियोजनाओं को टर्न-की आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। संबंधित उपक्रमों द्वारा टर्नकी संविदा को ई-निविदा के माध्यम से निर्धारित उपापन नीति, मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) एवं नोडल एजेंसी द्वारा पृथक रूप से जारी की गई तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार प्रदान किया जाएगा। परियोजनाओं को निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की सूचना की दिनांक के छह माह के अंदर प्रदान किया जाना है।

एसबीडी/परियोजना अनुमोदन को अंतिम रूप दिए बिना निविदा आमंत्रण

3.8 डीडीयूजीजेवाई की प्रारंभ होने के पश्चात, आरईसी ने पूर्ण टर्नकी परियोजनाओं के लिए एक एसबीडी जारी की (जून 2015)। इसके पश्चात, उर्जा मंत्रालय ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत उच्च कीमत वाली उप-प्रसारण व वितरण सामग्री जुटाने की नूतन पहल की (अगस्त 2015)। तदनुसार, आरईसी ने आंशिक टर्नकी निष्पादन हेतु संशोधित एसबीडी जारी की (अप्रैल 2016)। इसी बीच जयपुर डिस्कॉम ने उसकी परियोजनाओं को प्रदान किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की (नवम्बर 2015)। संशोधित एसबीडी जारी किए जाने के पश्चात, डिस्कॉम्स ने आंशिक टर्नकी आधार आपूर्ति एवं कार्य निष्पादन हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की (मई 2016) तथा निशुल्क निर्गम मदों[51] का अपने स्तर पर उपापन करने हेतु विशिष्टताओं का सामूहिक रूप से निर्णय लिया (अप्रैल/मई 2016)। यह भी ठेके प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में एमओपी द्वारा किए गये बदलाव के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। बाद में, आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण टर्नकी संविदाओं को जारी करने हेतु अनुमोदन दिया (26 जुलाई 2016) एवं डीडीयूजीजेवाई वेब पोर्टल पर एसबीडी को अपलोड किया (अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा निविदा प्रणाली (पूर्ण टर्नकी/आंशिक टर्नकी), तकनीकी विशिष्टताएं एवं एसबीडी को अंतिम रूप दिए बिना निविदा प्रक्रिया आरंभ किए जाने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने एमसी द्वारा परियोजना-वार घटक-वार डीपीआर के अनुमोदन (दिसम्बर 2015) से पूर्व ही निविदाएं आमंत्रित कीं (नवम्बर 2015)। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स निविदाओं को रद्द करने एवं एक नयी निविदा प्रक्रिया पुनः आरंभ करने के लिए बाध्य थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

51 टर्नकी संविदाओं में, डिस्कॉम्स प्रावधान रखते हैं जिसके अनुसार कुछ उच्च कीमत वाली मदें यथा वितरण ट्रांसफार्मर्स, मीटर इत्यादि की व्यवस्था डिस्कॉम्स द्वारा की जाती है एवं स्थापना हेतु टर्नकी ठेकेदारों को प्रदान की जाती हैं। चूंकि ऐसी मदों की ठेकेदारों के लिए कोई लागत नहीं होती, इन मदों को निशुल्क निर्गम मदों के रूप में जाना जाता है।

बीओडी निर्देशों का सक्षम अनुमोदन/अनुपालन सुनिश्चित किए बिना अनुचित दर पर ठेके प्रदान करना

3.9 जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम ने क्रमशः दौसा (टीएन-361) एवं राजसमंद (टीएन-35) परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बोलीयां आमंत्रित की (अगस्त 2016)। प्रचलित बीएसआर दरों के आधार पर अनुमानित लागत क्रमशः ₹ 51.34 करोड़ एवं ₹ 55.92 करोड़ रखी गई थी। एकल बोलीदाताओं (अर्थात स्वास्तिका इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एवं वैष्णो एसोसिएट्स विद्युत प्रोजेक्टस का एक संयुक्त उद्यम एवं मैसर्स नाओलिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) की तकनीकी-वाणिज्यिक बोली क्रमशः सितम्बर 2016 एवं अक्टूबर 2016 में खोली गई थी। बोली को उत्तरदायी मानते हुए, एकल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली अक्टूबर 2016 एवं नवंबर 2016 में खोली गई थी। दोनो प्रकरणों में उद्धृत मूल्य (₹ 74.45 करोड़ एवं ₹ 77.67 करोड़) उच्चतर पाए गये थे एवं इसलिए संबंधित डिस्कॉम की सीएलपीसी ने क्रमशः ₹ 63.73 करोड़ ₹ 51.00 करोड़ के प्रति प्रस्ताव दिए (नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016)। प्रति प्रस्ताव दरें क्रमशः शुद्ध बीएसआर मूल्य[52] (₹ 51.34 करोड़) से 24.13 प्रतिशत एवं शुद्ध बीएसआर मूल्य (₹ 36.25 करोड़) से 40.69 प्रतिशत उच्च थी। एकल बोलीदाताओं ने प्रस्तावित मूल्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016) एवं तदनुसार इन एकल बोलीदाताओं के पक्ष में एलओआई जारी किए गये थे (दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017)।

इसी प्रकार, कुल 13 पश्चातवर्ती निविदाओं (चरण-II) में से सात निविदाओं में, जहाँ एकल बोलीदाता ने भाग लिया था, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी द्वारा प्रति प्रस्तावित किए गये मूल्य संबंधित बोलीदाताओं द्वारा स्वीकार कर लिए गये थे।

डिस्कॉम्स ने राजसमंद एवं दौसा परियोजना की एलओआई जारी किए जाने के पश्चात मामले, सात पश्चातवर्ती निविदाओं के साथ, संबंधित निदेशक मंडल के समक्ष उनकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए (फरवरी 2017)। निदेशक मंडल ने, अनुमोदन किए जाने के बजाए, यह अभिव्यक्त किया कि दरों में और कटौती किए जाने की संभावना है एवं सीएलपीसी को दरों की तर्कसंगतता को पुनः सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसने आगे दरों को मोलभाव/प्रति प्रस्ताव माध्यम से कम किए जाने एवं दरों के तब भी अनुचित रहने की स्थिति में निविदाओं को पुनः आमंत्रित करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर डिस्कॉम ने, निदेशक मंडल के निर्देश प्राप्त होने पर, राजसमंद परियोजना के एल1 बोलीदाता को दर का प्रति प्रस्ताव दिया। प्रति प्रस्ताव दर, जिस दर पर एलओआई जारी की गई थी, से 6.84 प्रतिशत कम थी। प्रति प्रस्तावित दर बोलीदाता द्वारा स्वीकार की गई थी। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी ने, इस तथ्य के उपरांत भी कि निदेशक मंडल के निर्देश सभी आठों प्रकरणों (यथा दौसा एवं पश्चातवर्ती निविदा में एकल बोली वाले सात प्रकरण) में समान रूप से लागू थे, दरों की तर्कसंगतता का पुनः आंकलन केवल सात प्रकरणों (दौसा के अलावा) में ही किया एवं तदनुसार उन सात मामलों में बोलीदाताओं के साथ पुनर्मूल्यांकन में इस प्रकार कम की गई उन कम दरों के लिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया। दरों की तर्कसंगतता के पुनर्मूल्यांकन एवं इन सात प्रकरणों में कम की गई दरों पर प्रति प्रस्ताव

52 डिस्कॉम द्वारा शुद्ध बीएसआर मूल्य की गणना गैल्वनाइजेशन तथा लेवल-II ट्रांसफार्मर की आपूर्ति लागत एवं निर्माण भाग पर सेवा कर का प्रभाव देकर की गई है।

दिए जाने के परिणामस्वरूप मूल्य 9.12 प्रतिशत तक कम होने के साथ ₹ 26.81 करोड़ की बचत हुई थी क्योंकि प्रति प्रस्तावित दरें संबंधित बोलीदाताओं के द्वारा स्वीकार की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा किः

(i) राजसमंद एवं दौसा प्रकरण में, संबंधित डिस्कॉम ने अगले उच्च प्राधिकारी (संबंधित डिस्कॉम के निदेशक मंडल) का अनिवार्य अनुमोदन, जैसा कि एकल बोली प्राप्त होने के प्रकरण में आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के तहत आवश्यक है, प्राप्त नहीं किया था।

(ii) चूंकि निदेशक मंडल ने दौसा परियोजना हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान नहीं की थी एवं इसके समक्ष रखे गये सभी प्रकरणों में समान निर्देश पारित किए थे, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी को दौसा परियोजना हेतु भी दर की तर्कसंगतता का पुर्नआंकलन किया जाना आवश्यक था। तथापि, इसने निदेशक मंडल के निर्देशों को अनदेखा/गलत अर्थ लगाया क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्णय की संपुष्टि के अधीन एकल प्रतिभागी बोलीदाता के पक्ष में एलओआई जारी किए गये थे। इसने आगे कहा कि निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार अजमेर डिस्कॉम द्वारा राजसमंद परियोजना हेतु पुनः बातचीत की गई थी, तथापि जयपुर डिस्कॉम द्वारा दौसा परियोजना हेतु पुनः बातचीत नहीं की गई थी क्योंकि सीएलपीसी द्वारा मोलभाव किए जाने के पश्चात दो अन्य संविदाएं उसी दर पर प्रदान की गई थी। साथ ही, दौसा परियोजना हेतु निदेशक मंडल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान (9 फरवरी 2017) कर दी गई थी।

उत्तर, तथापि, सक्षम प्राधिकारी/ बीओडी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना एलओआई जारी करने के संबंध मौन है । इस प्रकार तथ्य रहता है कि डिस्कॉम्स ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप अंततः बोलीदाताओं के साथ पुनः बातचीत करनी पड़ी। साथ ही, उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि निदेशक मंडल ने दौसा परियोजना हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान नहीं किया था। इसके स्थान पर इसने इसके समक्ष प्रस्तुत सभी आठ प्रकरणों में दरों की तर्कसंगतता को पुनः निर्धारित करने का आदेश दिया जो कि दौसा परियोजना में सुनिश्चित नही किया गया था।

टर्नकी ठेकों को प्रदान एवं निष्पादन में कमियां

एमएंडपी बॉक्स की स्थापना पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय

3.10 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि वितरण प्रणाली में सभी स्तरों पर ऊर्जा के निर्बाध लेखा एवं लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उप-स्टेशनों, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर्स एवं उपभोक्ताओं के मीटरों की स्थापना महत्वपूर्ण है। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदाओं के आमंत्रण के लिए डिस्कॉम्स द्वारा अपनाए गए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के वाक्यांश 19 एवं गारंटीकृत तकनीकी मापदंड (जीटीपी) में निर्धारित किया गया था कि 25 केवीए एवं 40 केवीए के तीन फेज वितरण ट्रांसफार्मर्स, मीटर

एवं संरक्षण (एमएंडपी) बॉक्स[53] सहित जिसमें मीटर लगाने का प्रावधान हो, स्थापित किए जाने थे।

जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन हेतु प्रदान किए गये सभी 30 टर्नकी कार्य (टीडबल्यू) संविदाओं (23 परियोजनाएं) में अन्य बातों के साथ 2,745 डीटी (जयपुरः 1,421 डीटी[54] एवं अजमेरः 1,324 डीटी[55]) एमएंडपी बॉक्स सहित की स्थापना का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अपनी सभी परियोजनाएं स्थापित किए जाने वाले डीटी पर मीटरिंग का प्रावधान किये बिना तैयार एवं कार्यान्वित की। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने विद्यमान डीटी/नवस्थापित डीटी पर मीटर स्थापित किए जाने हेतु किसी अन्य योजना का गठन नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने अनुमोदित एसबीडी एवं जीटीपी का पालन नहीं किया था जोकि न केवल डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन था अपितु ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं किए जाने का कारण भी बना।

चूंकि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने डीटी मीटरिंग का प्रावधान नहीं रखा था, जैसा कि **अनुच्छेद 2.13.7** में वर्णित है, इसलिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्थापित किए गये डीटी पर एमएंडपी बॉक्स स्थापित किए जाने का कोई उपयोग नहीं था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्रदान की गई मात्रा के समक्ष, जयपुर डिस्कॉम द्वारा जनवरी 2021 तक कुल 1,040 डीटी (25 केवीए/40 केवीए) स्थापित किए गए थे, जिनमें से 727 डीटी एमएंडपी बॉक्स के साथ ₹ 0.84 करोड़[56] व्यय कर स्थापित किए गए थे एवं शेष 313 डीटी एमएंडपी बॉक्स के बिना स्थापित किए गए थे, जिसके लिए चालू बिलों मे से कटौती कर ली गई थी। अजमेर डिस्कॉम में दिसम्बर 2020 तक 298 डीटी (25 केवीए/40 केवीए) स्थापित किए गये थे। इन 298 डीटी में से किसी में भी एमएंडपी बॉक्स नहीं था, तथापि, अजमेर डिस्कॉम ने बिना एमएंडपी बॉक्स के डीटी की आपूर्ति के पेटे ₹ 0.34 करोड़[57] की कटौती नहीं की थी। जबकि जोधपुर डिस्कॉम में कोई तीन फेज डीटी सम्मिलित नहीं था अतः एमएंडपी बॉक्स के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार, जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने इन एमएंडपी बॉक्स की स्थापना पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय किया, क्योंकि जयपुर डिस्कॉम में स्थापित किए गये एमएंडपी बॉक्स अनुपयोगी रहे जबकि अजमेर डिस्कॉम ने ठेकेदारों के चालू बिलों मे से एमएंडपी बॉक्स की लागत की वसूली नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, अजमेर डिस्कॉम ने एमएंडपी बॉक्स की आपूर्ति सुनिश्चित किए

---

53 जीटीपी के अनुसार, एमएण्डपी बॉक्स एक बाह्य प्रकार का कैबिनेट है एवं जिसकी आपूर्ति एक 'ट्रिपल पोल मोलडेड केस सर्किट ब्रेकर' (एमसीसीबी) सहित, ऊर्जा मीटर एवं मॉडेम को फिक्स करने के लिए की जानी है।

54 25 केवीए के 107 एवं 40 केवीए तीन फेज क्षमता वाले 1,314

55 25 केवीए के 1,111 एवं 40 केवीए तीन फेज क्षमता वाले 213

56 कार्य संविदा में एमएंडपी बॉक्स की दर अलग से निर्धारित नहीं है; इसलिए जयपुर डिस्कॉम के 727 डीटी हेतु व्यय की गणना जयपुर डिस्कॉम के पास उपलब्ध एमएंडपी बॉक्स की मानक निर्गम दर (अर्थात ₹11,151 प्रति एमएंडपी बॉक्स) के आधार पर की गई है।

57 298 एमएंडपी बॉक्स X ₹ 11,511

बिना भुगतान जारी किए जाने के उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।

सरकार ने कहा कि एमएंडपी बॉक्स पर होने वाले व्यय को निष्फल नहीं माना जा सकता है क्योंकि भविष्य में ऊर्जा लेखांकन एवं ऊर्जा चोरी की रोकथाम के उद्देश्य से इनकी आवश्यकता होगी। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने डीटी के साथ एमएंडपी बॉक्स उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित ठेकेदारों से ₹0.40 करोड़ की वसूली की थी। इसने आगे कहा कि अजमेर डिस्कॉम में प्रकरण की जाँच करवायी जायेगी एवं डीटी के साथ एमएंडपी बॉक्स उपलब्ध नहीं करवाने हेतु आवश्यक कटौती की जाएगी।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि डीटी के साथ एमएंडपी बॉक्स के उपापन से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा क्योंकि डिस्कॉम ने डीटी पर मीटरिंग के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी। इसलिए, इस मद पर किया गया व्यय निष्फल था। ठेकेदारों से वसूली के साथ-साथ वितरण ट्रांसफार्मर्स के साथ एमएंडपी बॉक्स की आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना भुगतान जारी किए जाने हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण, तथापि, अजमेर डिस्कॉम में लंबित था (जून 2022)।

कॉपर वाउण्ड डीटी के मूल्य विचलन को अनियमित रूप से जारी करना

3.11 आरईसी ने अंतिम एसबीडी इस शर्त के साथ जारी किया (अगस्त 2016) कि डिस्कॉम्स राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से एसबीडी/विशिष्टताओं को संशोधित कर सकते हैं। एसएलएससी ने एसबीडी में डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तावित रूपांतरणों/संशोधनों को अनुमोदित किया (14 जुलाई 2016)। खण्ड I (संविदा की सामान्य शर्तें) की धारा IV में प्रावधान था कि संविदा मूल्य संविदा समझौते में निर्दिष्ट होगा एवं यह संविदा समझौते के परिशिष्ट 2 (मूल्य समायोजन) के प्रावधानों के अनुसार समायोजन के अधीन होगा। परिशिष्ट 2 के अनुसार, मूल्य समायोजन केवल विशिष्ट रूप से निर्धारित उपकरणों/सामग्री/मदों[58] हेतु ही अनुमत्य किया जाना था। यह निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार किया जाना था एवं अन्य सभी उपकरणों/सामग्रियों/मदों की कीमतों को स्थिर रहना था क्योंकि कोई मूल्य समायोजन लागू नहीं होने थे। डिस्कॉम्स ने संशोधित एसबीडी के आधार पर निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की (अगस्त 2016) एवं सभी परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की (नवंबर 2016 एवं मई 2017 के मध्य) जिसमें एसबीडी (एसबीडी के परिशिष्ट -2 सहित) सभी प्रकरणों में कार्यादेशों/संविदाओं का भाग था।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि तीन डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सितंबर 2020 तक ₹ 425.14 करोड़ मूल्य के 68114 सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड डीटी का उपापन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

58 एसीएसआर कंडक्टर, पावर ट्रांसफार्मर (कॉपर वाउण्ड), वितरण ट्रांसफार्मर (एल्युमिनियम वाउण्ड), केबल्स, स्टील स्ट्रक्चर एवं आंतरिक/बाह्य स्विचगियर्स (सर्किट ब्रेकर, आरएमयू, सेक्शनलाइज़र एवं आइसोलेटर सहित)।

तालिका संख्या 3.2

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रय किए गए सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड वितरण ट्रांसफार्मर की स्थिति

डीटी की क्षमता	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम	
	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (₹ करोड़ में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (₹ करोड़ में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (₹ करोड़ में)
5 केवीए	0	0.00	6787	70.14	12797	58.44
10 केवीए	0	0.00	2512	16.26	14997	88.25
16 केवीए	17101	135.09	9534	34.66	4386	22.30
योग	**17101**	**135.09**	**18833**	**121.06**	**32180**	**168.99**

इन डीटी की आपूर्ति के समक्ष, ठेकेदारों ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधन से इन डीटी पर मूल्य विचलन (पीवी) अनुमत्य किए जाने का अनुरोध किया (अप्रैल 2018)। जयपुर डिस्कॉम ने ऐसे डीटी पर पीवी की प्रयोज्यता के संबंध में आरईसी से स्पष्टीकरण मांगा (अप्रैल-मई 2018)। आरईसी ने स्पष्ट किया (मई 2018) कि एसबीडी के प्रावधानों के अनुसार, पीवी केवल एल्युमिनियम वाउण्ड डीटी के लिए अनुमोदित है। इसने आगे स्पष्ट किया (जून 2018) कि एसबीडी एमओपी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी एवं कॉपर वाउण्ड डीटी हेतु एसबीडी में संशोधन अब स्वीकृति योग्य नहीं है। इसने आगे कहा कि डिस्कॉम, तथापि, ऐसी विशिष्टताओं को अपनी आवश्यकतानुसार एसएलएससी से अनुमोदित कराकर संशोधित कर सकता है। साथ ही, ठेकेदारों ने जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंधन से मूल्य विचलन (पीवी) अनुमत्य किए जाने का अनुरोध किया (मार्च 2019) जिसका उत्तर नहीं दिया गया था।

पूर्व में दिए गये स्पष्टीकरणों के पश्चात भी, जयपुर डिस्कॉम ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्थापित कॉपर वाउण्ड डीटी के मूल्य समायोजन को अनुमत्य किए जाने हेतु आरईसी से अनुरोध किया (अप्रैल 2019)। जयपुर डिस्कॉम ने कहा कि इसके द्वारा किए गये कॉपर वाउण्ड डीटी के उपापन (अक्टूबर 2016 से जनवरी 2019) में 22.56 प्रतिशत तक की अत्यधिक मूल्य वृद्धि सम्मिलित थी। तथापि, जयपुर डिस्कॉम का अनुरोध फरवरी 2021 तक अनुत्तरित रहा। परिणामस्वरूप, जयपुर डिस्कॉम ने फरवरी 2021 तक ठेकेदारों को इस संबंध में कोई पीवी जारी नहीं किया था।

इसके विपरीत, अजमेर डिस्कॉम ने सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड डीटी पर मूल्य समायोजन को अनुमत्य किए जाने का निर्णय इस आधार पर लिया (जून 2018) कि आरईसी ने ट्रांसफॉर्मर हेतु मूल्य समायोजन को अनुमत्य किया था एवं डिस्कॉम द्वारा अंतिम रूप दी गई विशिष्टताओं में कॉपर वाउण्ड डीटी को शामिल किया गया है। तदनुसार, अजमेर डिस्कॉम ने सितंबर 2020 तक कॉपर वाउण्ड डीटी पर पीवी के पेटे ठेकेदारों को ₹ 8.45 करोड़ जारी किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी द्वारा जारी एवं एसएलएससी के अनुमोदन से संशोधित एसबीडी में कॉपर वाउण्ड डीटी पर पीवी अनुमत्य किए जाने के प्रावधान के अनस्तित्व में होने की जानकारी होने के उपरांत भी, अजमेर डिस्कॉम ने प्रकरण पर सक्षम प्राधिकारी के स्पष्टीकरण/अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया था एवं ठेकेदारों को जारी कार्यादेशों/संविदाओं के प्रावधानों के विरुद्ध कॉपर वाउण्ड डीटी पर पीवी अनुमत्य किए जाने का एकाकी निर्णय लिया। अजमेर डिस्कॉम ने इस प्रकरण में सर्वसम्मत/एकसमान निर्णय पर पहुंचने हेतु सहयोगी कंपनियों (जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम) से भी परामर्श नहीं लिया। परिणामस्वरूप, अजमेर डिस्कॉम ने

संबंधित कार्यादेशों/संविदाओं में निर्दिष्ट प्रावधानों के विरूद्ध अनियमित रूप से ₹8.45 करोड़ का व्यय किया।

सरकार ने कहा कि अजमेर डिस्कॉम को सीएलपीसी के निर्णय को सक्षम स्तर पर समीक्षा किए जाने एवं 30 दिवस के भीतर इसके परिणामों से सूचित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तथापि, नवम्बर 2021 तक पश्चातवर्ती उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

- डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सलाहकारों/पीएमए की सेवाओं के उपापन एवं टर्नकी संविदा प्रदान किए जाने पर आरटीपीपी अधिनियम/नियमों एवं सीवीसी द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।
- डिस्कॉम्स ने डीटी मीटरिंग का प्रावधान किए बिना, एमएंडपी बॉक्स सहित डीटी स्थापित किए जाने के प्रावधान के साथ टर्नकी संविदा प्रदान की। मीटरिंग प्रावधान के अभाव में, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्थापित एमएंडपी बॉक्स (₹ 1.18 करोड़) निष्क्रिय रहे।
- अजमेर डिस्कॉम ने आरईसी द्वारा जारी एवं एसएलएससी द्वारा अनुमोदित एसबीडी के प्रावधानों का उल्लंघन/गलत व्याख्या की एवं टर्नकी ठेकेदारों के पक्ष में सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड डीटी की आपूर्ति हेतु मूल्य विचलन के पेटे ₹ 8.45 करोड़ सक्षम अनुमोदन के बिना जारी किये।

सिफ़ारिश

डिस्कॉम्स को चाहिए कि:

- **आरटीपीपी अधिनियम/नियमों, सीवीसी के निर्देशों/दिशानिर्देशों, भारत सरकार की योजना एवं अन्य अनिवार्य मानदंडों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु इसकी उपापन प्रक्रिया को सुदृढ़ करें।**
- **निविदा मानकों का उल्लंघन करने एवं मूल्य विचलन के पेटे अतिरिक्त भुगतान जारी किए जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।**